

(99)

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

प्रमाणक/ (पा) - 15 - 15 - 77 - 10 - (3)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15.2.78

चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट वे वन्य क्षेत्र तथा इनके लिए आवश्यक पारिवर्षिकीय का संरक्षण करने, उसका विरतार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राप्ती जाति तथा प्राप्ती पिज्जान की दृष्टि से प्रयोगित महत्व का है।

अतएव वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एवं 1972 (53 सन् 1972 की धारा 18 (1) प्रारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिए अभ्यारण्य (संचुरी) के रूप में घोषित करता है।

अनुसूची

ज़िला	-	सीधी
परिक्षेत्र का नाम	-	चित्तरगी
वनमंडल का नाम	-	सीधी
अभ्यारण्य का नाम	-	बगदरा
क्षेत्र का रक्कावा	-	478.000 वर्ग कि.मी.

सीमा विवरण

उत्तर	-	ज़िला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की सीमा
पूर्व	-	" " " " "
दक्षिण	-	सोन नदी
पश्चिम	-	परिक्षेत्र पूर्व सीधी के पूर्वी सीमा

सत्य प्रतिलिपि

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही /-

(आर. सी. सक्सेना)

उप सचिव

संचलाक

संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी

(100)

(C) (2)

Dated, 15/2/1973 February, 1973

ACTIVITY NO.

No. 15/15/73-10(3). Whereas the state Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting, propagating, and developing wild life and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18(1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the State Government hereby declares the said area be Game Area sanctuary for the birds and animals in the said sanctuary.

NAME

Name of District	Sidhi
Name of Range	Chitrangi
Name of Division	Sidhi
Name of Sanctuary	Bagdara Sanctuary
Area	478.00 Sq. K.

Details of Boundary

North	District Mirzapur Uttar Pradesh
East	-do-
South	Son River.
West	Eastern boundary of Range East Sidhi

By Order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

(S. C. T. J.)
Deputy Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Forest Department.

४५. प्रम का नाम व. प. ह. नं.—सरपुत्रवा-१, खत्ती-५,
(३) खम्हरिया-१, कोलीहा-१, वहेरी-१, रिसुप्रा-१, या लाला—
७०५०० चहरी, रकवा—१५२६, ०० एकड़।

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क. ६६/६ से ६७/१० तक
चहरी गांव का घोर ६७/१०-६८/१ से ७६/६ तक रिसुप्रा
गांव का घोर नाला ३६/६ मे १/१ तक और लाईन कटी
१/१ से १०/१० तक लदपुत्रवा गांव का।

पूर्व.—नाला सीमांकित मु. क. १०/१० से ११/१ तक घोर कटी
लाईन ११/१ से १६/८ तक खत्ती-गांव-बड़ा-घोर-नाला
१६/८ से १६/१ तक घोर लाईन कटी सीमांकित मु. क.
१६/१ से ३४/१६ तक खम्हरिया गांव का।

दक्षिण.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ३४/१६ से ३५/१७
तक खम्हरिया गांव का घोर ३५/१७-३६/१ से ४०/५
तक कोलिहा गांव का।

परिचय.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ४०/१५ से ४१/६ तक
लाला की सीमा बनाती है और लाईन कटी ४१/६ से ५७/२२
तक कोलिहा गांव का। घोर नाला ५७/२२ से ५८/१ तक
घोर कटी लाईन सीमांकित मु. क. ५८/१ से ६६/६ तक
चहरी गांव का।

ग. नि. म.—दुष्प्रतिया,

४६. प्रम का नाम व. प. ह. नं.—चुरी-३५, बन लाला—पुर्णी,
रकवा—१५३६, ०० एकड़।

उत्तर.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. १/१ से १२/१२ तक चुरी
गांव का घोर नाला १२/१२ से १३/१३ तक घोर खाड़ी
लाईन सीमांकित मु. क. १३/१३ से ४८/४८ तक चुरी
गांव का।

पूर्व.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ४८/४८ से ५५/५५ तक
चुरी गांव का घोर चत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सरहदी
तक घोर सरहदी राज्य रेखा सीमांकित मु. क. ५६/५६
तक ब्लाक की सीमा बनाती है घोर कटी लाईन सीमांकित
मु. क. ५६/५६ से ६१/६१ तक चुरी गांव का घोर राज्य
की सरहदी रेखा सीमांकित मु. क. ६१/६१ से ६२/६२ तक
लाईन कटी सीमांकित मु. क. ६२/६२ से ११६/११६
तक चुरी गांव का।

परिचय.—नाला सीमांकित मु. क. ११६/११६ से १/१ तक ब्लाक
की सीमा बनाती है।

४७. प्रम का नाम व. प. ह. नं.—गोदवी-३७, गोडिहा-३७,
भद्रदेवा-३८, फृश्यार-३८, बन लाला—गोरुवी, रकवा—
२१६८, ०० एकड़।

उत्तर.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ६६/८ से १०२/१२ तक
महादेवा गांव का घोर सीमांकित मु. क. १०२/१२-१०३/१
से १०५/१३ तक फुलझर गांव का घोर नाला १०५/१३
से १/१ तक घोर कटी लाईन सीमांकित मु. क. १/१ से
२६/२६ तक घोर गांव का घोर नाला २६/२६ से २६/
२६ तक घोर कटी लाईन २६/२६ से ३४/३४ तक गोरुवी
गांव का घोर नाला ब्लाक की सीमा बनाता है।

पूर्व.—नाला ब्लाक की सीमा बनाता है।
दक्षिण.—कटी लाईन सीमांकित मु. क. ३५/३५ से ८३/८३ तक
पोरवी गांव का घोर ८३/८३ से ८४/८४ तक घोर लाईन
कटी सीमांकित मु. क. ८४/८४ से ६०/७ तक गोरुवी
गांव का घोर ६०/७-६१/१ से ६७/७ तक महादेवा गांव का।
परिचय.—नाला ब्लाक की सीमा बनाता है।

४८. प्राम का नाम व. प. ह. नं.—चकरिया-३४, चुरी-३५,
वरुण-चकरिया, रकवा—२२७३, ०० एकड़।

उत्तर.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ४८/१५ से ६०/२७ तक
चकरिया गांव का।

पूर्व.—(१) लाईन कटी सीमांकित मु. क. ६०/२० से ६७/३४
तक चकरिया गांव का घोर (२) राज्य के परद्दों रेखा
चत्तर प्रदेश घोर मध्यप्रदेश की सीमांकित मु. क. ६७/३४
से ६८/३५ (३) लाईन कटी सीमांकित मु. क. ६८/३५

से ७३/४० तक अवकरिया गांव का घोर ७३/४०-७४/१
से ८०/७ तक चुरी गांव का घोर राज्य की सरहदी तक
(४) राज्य रेखा ब्लाक की सीमा बनाती है, (५) लाईन
कटी सीमांकित मु. क. ८१/८ से १२३/५० तक चुरी गांव
गांव, (६) राज्य की सरहदी रेखा उत्तर प्रदेश घोर मध्य
प्रदेश की सीमांकित मु. क. १२३/५० से १२४/५१ तक।

दक्षिण.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. १२४/५१ से १४५/७८
से ८८/८८ गांव।

परिचय.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. १४५/७८ से १५८/८५
तक चुरी गांव का घोर १५८/८५ से १/१ तक तथा कटी
लाईन सीमांकित मु. क. १/१ से ३३/३३ तक चुरी गांव
गांव घोर ३३/३३-३४/१ से ४८/५५ तक चकरिया गांव का।

४९. प्राम का नाम व. प. ह. नं.—पिराणी ३३, चराड ३३,
गोपेती-३३, कर्तारहार-३३, मोप ३३, वरुण-चकरिया—
२५६०, ०० एकड़।

उत्तर.—गाला सीमांकित मु. क. ७६/१६ से ८८/२० तक घोर
कटी लाईन सीमांकित मु. क. ८०/२०-८१/१ से ८८/८
सकेती गांव का (लाईन कटी) ८०/२० से ८३/४ तक सुमालान
घोर चिरपुरी ब्लाक की शामिलात सीमा बनाती है, घोर
इद-इद-८१/१ से १०/१ से १३/४ तक कर्तारहार घोर मोप
गांव का घोर १३/४-१४/१ से १५/२ कर्तारहार
गांव का।

पूर्व.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. १५/२-१६/१ से ११४१६
तक मोप गांव का घोर नाला सीमांकित मु. क. ११४/१६
से १/१ तक।

दक्षिण.—लाईन कटी सामांधित मु. क. १/१ से २४/२४ तक स्टैर-
गुडी गांव का घोर २४/२४-२५/१ से ३८/१४ बराड गांव
का।

परिचय.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ३८/१४ से ५४/३० तक
बराड गांव का घोर ५४/३०-५५/१ से ५६/२ तक मोप
गांव का, घोर ५६/२-५७/१ से ५८/२ बराड गांव का, घोर
५८/८ से ५९/१ से ६०/२ तक सकेती गांव का, घोर ६०/२-
६१/१ से ७६/१६ तक बराड गांव का।

ग. नि. म. घोवरा,

५०. प्राम का नाम व. प. ह. नं.—मुतियाठोला—१७,
जान्हवी-१७, चुरीवा-१८, गोला-१६, कोडरिया-
१८, विलया-१७, खसहट १७, कसदा १७, वनस्पति—
जान्हवीवाल, रकवा—५५५८, ०० एकड़।

उत्तर.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. ३२/७ से ४२/१७ तक निम्बा-
गांव का घोर ४२/१७ से ४३/१ से ४४/२ तक कोडरिया-
गांव का, दो८ सीमांकित मु. क. ६६/६ तक ब्लाक का वेलन ब्लाक
घोर ६६/६ से ५४/२ तक ब्लाक वेलन का घोर ५२/२-
५३/३ से ५७/११ तक कोडरिया गांव का घोर सीमांकित
मु. क. ३२/१ से २३/२३ तक वेलन ब्लाक का, घोर सीमांकित
मु. क. ३२/१ से २३/२३ तक वेलन ब्लाक का।

पूर्व.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. २३/२३, ५८/१ से ७६/१६
तक मोप गांव का घोर ७६/१६-७७/१ से ११/१५ तक
जुम्हावल गांव का घोर ११/१५, ६३/१ से ६५/४ तक
मुट्ठेडा गांव का घोर सीमांकित मु. क. १७६/१ तक ब्लाक
तमई का।

दक्षिण.—लाईन कटी सीमांकित मु. क. १७६/१ से १७८/८ तक
ब्लाक तमई का घोर १७८/८-१८६/१ से १८७/२ तक किला-
गांव का घोर नाला १८७/२ से १९८/१ तक लाईन कटी सीमां-
कित मु. क. १८८/१-१९४/१ से १२१/१२ तक मुतियाठोला गांव का घोर
१२१/१२-१२२/१ से १२२/१२ तक कसदा गांव का, घोर १२२/१२-
१२३/१ तक लाईन कटी गांव का।

स्थिति—लाइन कटी शुभमात्र राज्य की सरहदी से सीमांकित मुक्ति क्र. ३५०/१८ तक और ३५०/१८ से ३५६/२४ तक सीमांकित गांव का घोट ८३/३ तक सिरपड़ी जलाक और ८३/३ से ८५७/१८ तक तेवा, कटी लाइन सीमांकित मु. क. ३५७/१ से ३६५/६ तक जमतिहवा गांव का घोट ३६५/६-३६५/१ से ३६५/३० तक कामुरदई गांव का घोट नाला ३६५/३० से ३६६/१ तक कटी लाइन ३६६/१ से ३६६/४ तक प्रमत्त द्वितीय गांव का घोट नाला ३६६/४ से ४००/३ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क. ४००/५ से ४२०/२५ तक प्रमत्त इवा गांव का घोट नाला ४२०/२५ से ४२१/१ तक कटी रेवा ४२१/१ से ४२३/३ तक कामुरदई गांव का घोट नाला ४२३/३ से ४२४/४ तक कटी लाइन ४२४/४ से ४३७/१७ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क. ४३७/१७ से ४३८/१९ तक कटी लाइन गांव का घोट ४३८/१९ से ४५१/१४ तक बीडिहार गांव का घोट नाला ४५१/१४ से ४५२/१५ तक घोट कटी लाइन सीमांकित मु. क. ४५२/१५ से ४६०/२३ तक बीडिहार गांव का घोट नाला ४६०/२३ से ४६१/१ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क. ४६१/१ से ४६४/१ तक कुंडिया गांव का घोट ४६४/१ से ४६५/१ से ४६५/२० तक प्रमत्त हवा गांव का घोट ४६५/२० से ४८५/११ से ४८६/११ से ४८७/२ तक बडवा टोला गांव का घोट खम्हनिया गांव का प्रमत्त घोट ४८७/२-४८८/१ से ४९०/३ तक मनजहवा गांव का घोट ४९०/३-४९१/१ से ५०३/१३ तक मुलखान कला गांव का घोट ५०३/१३-५०४/१ से ५२३/१० तक प्रमत्त हवा गांव का घोट ५१३/१० स ५१४/१ से ५१७/४ तक मुलखान गांव का, घोट ५१७/४ से ५१९/१ से ५२६/१ तक प्रमत्त हवा गांव का घोट ५२६/१-५२७/१ से ५५७/३ तक कुलखान कला गांव का घोट ५५७/३-५५८/१ से ५५८/३ तक मुलखान खुर्द गांव का घोट ५५८/३-५५९/१ से ५६०/११ तक कुलखान खुर्द गांव का घोट ५६०/११-५६१/१ से ५६१/११ तक कुलखान खुर्द गांव का घोट ५६१/१-५६२/१ से ५६२/११ तक मुलखान खुर्द गांव का घोट ५६२/१-५६३/१ से ६१३/१८ तक मुलखान खुर्द गांव का घोट ६१३/१८-६१४/१ से ६१४/११ तक कुलखान खुर्द गांव का घोट ६१४/११-६१५/१ से ६१५/११ तक मुलखान खुर्द गांव का घोट ६१५/१-६१६/१ से ६१६/११ तक नोर्ही गांव का घोट सीमा अंत के मुनारा तक,

प्रश्न—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ६४७/४ से ६४७/१४ तक तीपर्गढ़ गांव का घोट ६४७/१४ से ६५६/११ तक रामगढ़ का घोट ६५६/११ से ६५८/१ तक मोर्ही गांव का घोट ६५८/१-६६०/१ से ६६२/३ तक नोर्ही गांव का घोट सीमा अंत के मुनारा तक,

प्रश्न—सीधी, तहसील—सिरोली, वनमंडल—दुर्दी सीधी, मुर्छिवेत्र—बीड़न, रा. नि. मंडल—सिरोली, प्राम का नाम व. प. ह. नं.—दुर्दी दुवा-२६, कामधारी-२६, मवोली-२८, पलरेह-२६, चटका-२६, जियुद्देह-२६, चूरीवेह-२६, वर्तवड—दुर्दी दुवा, रकवा—४३६१, ०० एकड़।

प्रश्न—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ६२/१ से १००/६ तक चटका-२६ गांव का घोट १००/६-१०१/१ से ११५/० से ११५/१५ तक सिरुरदह गांव का,

प्रश्न—राज्य की सरहदी रेवा उत्तरप्रदेश घोट मध्यप्रदेश की द्वारा की सीमा सीमांकित मु. क. ११८/१८-१२१/१ तक द्वारा कटी है, घोट कटी लाइन सीमांकित मु. क. ११६/१ से १२६/११ तक चुरीह गांव का घोट राज्य की रेवा उत्तरप्रदेश की वनकी की सीमा बनती है,

प्रश्न—(१) राज्य रेवा उत्तरप्रदेश घोट मध्यप्रदेश की वनकी की सीमा बनती है, (२) लाइन कटी सीमांकित मु. क. ११८/११ से ११९/११ तक दुर्दी दुवा गांव का,

प्रश्न—कटी लाइन सीमांकित मु. क. ११८/११ से ३०/३० तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ३०/३० से ३१/१ से ५२/२२ तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ५२/२२-५३/१ से ६७/१५ तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ६७/१५-७६/१ से ७५/८ तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ७५/८-७६/१ तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ७६/१-८१/१ तक दुर्दी दुवा गांव का घोट ८१/१ तक,

कुल पोग ५५ रुपये १,१३५६९.०० पर्याप्त (१७३.५४)


संवित्त पिंडरा—पृथिवी प्रदानित वन गोपनी उत्पादन का लेख है,

वन रामण के लिये वनाण—राज्य तथा जनता के हित में हेतु वन के लिये कानूनों को संवित्त करने वाले विधिवित्त प्रबन्ध किया जाना प्रारम्भ करने के लिये निश्चय निष्पापी द्वारा किया जाता है अर्थात् वनों के लिये रेखा जाप।

प्रापालं दिग्गंग २५ सितम्बर १९६७ पृष्ठ २

क्र. १५१८६८६३७२३७३४५—भारतवर्ष वन अधिनियम, १९२७ (क्र. १५१८६८६३७३४५) का प्राप्ति हो इस वन सिविली वन विधान का एक एक राज्य वासिन ने पहचियन किया है कि नियमितिवाली अधिकारी वनाणी वनाणी लीमां घोट विद्युत दो गई प्रापुत्रों में दर्याएँ गई हैं “अतिकृति लिया होगा।”

राज्य वासिन उक्त प्रस्त्रीवाम को पारा ४ (११) के प्रयोगन के लिये प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति का वन वनाणी वनाणी अधिकारी विवृत वनाणी के,



जिला—गोपी, तहानी—तिरारीत, वनपंडित—पूर्व एप्रिल परिषद—पाम—प. फ. में वाला वन का वाग वनपंडित वनपंडित—पर्वत वनपंडित—पर्वत, वनपंडित—पर्वत, वनपंडित—पर्वत, एकड़।

उत्तर—आरभित वन की रेवा वन का वामा बनती है,

पूर्व—लाइन कटी वन के पूर्वारे से गोपांकित मु. क. १/१ से ६/४ तक घोट गांव का,

विधान—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ४/४ से ६/६ तक घोट गांव का वामा वन १०८ मु. क. ६/६ से ७/१ तक,

परिषद—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ७/१ से ६/३ तक लत्ता—तृहरा गांव का घोट प्राप्ति वन के पूर्वारे तक,

२. **जिला—गोपी, तहसील—तिरारीत, वन पंडित वनपंडित—पाम, रा. नि. मंडल—पाम, प्राप्ति, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, ६४.०० एकड़।**

उत्तर—पा. वन की रेवा वन की वामा बनती है,

पूर्व—लाइन कटी पा. वन के मु. से सीमांकित मु. क. १/१ तक घोट गांव का, १/१ से ५/५ तक पुर्वारे गांव का,

दक्षिण—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ५/५ से ६/६ तक मन्दा गांव का,

परिषद—लाइन कटी सीमांकित मु. क. ६/६ से ८/८ वन के पूर्वारे तक,

३. **जिला—गोपी, वनपंडित—पाम, रा. नि. मंडल—पाम, वनपंडित—पाम, वनपंडित—पाम, १३६.०० एकड़।**

उत्तर—लाइन कटी पा. वन के मु. से सीमांकित मु. क. १/१ तक घोट गांव का, १/१ से ३/३ तक पर्वती गांव का, घोट गोपांकित मु. क. ३/३ से ४/१ तक,